न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत बिघोता

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 3/78/18

1. नाहरा पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी बिघोता तहसील राजगढ।
2. रामबाई पुत्री मांग्या जाति मीना निवासी बिघोता तहसील राजगढ।

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ।

प्रार्थना पत्र 128 आर.टी.एक्ट.

15.05.2018 :–आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बिघोता पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 128 आर.टी.एक्ट. का पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नं0 1076 रकबा 0.58 वाके ग्राम बिघोता तहसील राजगढ मे स्थित है, जिसका प्रार्थीगण खातेदार है। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नही होने से प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार राजगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार राजगढ के द्वारा आदेश क्रमांक 13 दिनांक26.05.2017 के द्वारा उक्त आराजी की पैमाईश के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये और पटवारी हल्का द्वारा दिनांक29.05.2017 को मौके पर पहूॅच कर मौतबिरान व उपस्थित गांव वालो के समक्ष उक्त आराजी की मुस्तकिल बिन्दू खसरा सं0 1046 व 1123 चाह हो मानते हुए पैमाईश की गई, तथा सीमाज्ञान रिर्पोट तैयार कर उपस्थित ग्रामवासियों व मौतबिरान के हस्ताक्षर कराये गये। अब प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान रिर्पोट के आधार पर आराजी विवादित खसरा सं0 1076/0.58 है0 की पत्थरगढी कराना चाहते है। अंत मे प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

मैन पत्रावली का कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बिघोता पर स्वप्रेरणा से निर्णय हेतु अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या वाके ग्राम बिघोता तहसील राजगढ के अंकित ईन्द्राज आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी होना साबित है। पत्रावली पर सलंग्न मौका पर्चा रिर्पोट दिनांक 29.05.2017 , 30.05.2017, की नकल से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे आराजी विवादित का सीमांकन कराया गया है। चूकि प्रार्थीगण आराजी हाल खसरा संख्या 1076/0.58 है0 वाके ग्राम बिघोता तहसील राजगढ के खातेदार साबित है। और आराजी विवादित के खातेदार होने के कारण वो अपने आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से पैमाईश एवं पत्थरगढी कराने के हकदार साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 128 आर.टी.एक्ट. हाल खसरा संख्या 1076 रकबा 0.58 वाके ग्राम बिघोता तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। तहसीलदारा राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो पक्षकारान की उपस्थिति मे आराजी विवादित की पूनः पैमाईश कर प्रार्थीगण के खर्चे पर अपनी उपस्थिति मे पत्थरगढी कराने की कार्यवाही कर पालना करें। निर्णय प्रति तहसीदार राजगढ पालना हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट वाके ग्राम बिघोता तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत बिघोता